न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 72/2018

अनवान :

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।

– असल प्रतिवादीगण

3. बंशीलाल }
4. मांगीलाल } पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासीगण नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : **प्रतिवादी सं0 1,3,4**

निर्णय **दिनांक:** 10.5.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 56/55 के मु0नं0 2 के किला नं0 21 की 0.126 है0 किला नं0 22 की 0.139 है0 किला नं0 23 की 0.076 है0 कुल 0.341 है0 मु0नं0 10 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22–23 कुल 3.542 है0 मु0नं0 15 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.530 है0 मु0नं0 53 के किला नं0 12, 13, 14, 17 ता 24 कुल 2.783 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 9.196 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि व चक 4 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 65/63 के मु0नं0 3 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 15 की कुल 3.036 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह को अपने पिता आदराम से विरासतन प्राप्त हुई है व संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है जिसमें वादी राजेन्द्र प्रसाद व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का जन्म से हक हिस्सा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में राजेद्र प्रसाद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चित्रप्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 56/55 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, चित्रप्रति जमाबन्दी चक 4 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 65/63 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 4 बरवाली

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 3 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 3 व 4 बीआरडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 4 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 3 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा आदराम वल्द चेतनराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में भूपसिंह के वारिसान में पत्नी रामेश्वरी व तीन पुत्र बंशीलाल, राजेन्द्र प्रसाद, मांगीलाल होना व इन सदस्यों के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 65/63 के मु0नं0 3 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 15 की कुल 3.036 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजेन्द्र प्रसाद खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 56/55 के मु0नं0 2 के किला नं0 21 की 0.126 है0 किला नं0 22 की 0.139 है0 किला नं0 23 की 0.076 है0 कुल 0.341 है0 मु0नं0 10 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22–23 कुल 3.542 है0 मु0नं0 15 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.530 है0 मु0नं0 53 के किला नं0 12, 13, 14, 17 ता 24 कुल 2.783 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 9.196 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के बजाय प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह, प्रतिवादी सं0 3 बंशीलाल एवं प्रतिवादी सं0 4 मांगीलाल तीनों बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्ती किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-5-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 72/2018

अनवान :

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

<u>बनाम</u>

1. भूपसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।

– असल प्रतिवादीगण

3. बंशीलाल } पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासीगण नेठराना
4. मांगीलाल } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील श्री सुरजीत बिजारणिया प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 65/63 के मु0नं0 3 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 15 की कुल 3.036 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजेन्द्र प्रसाद खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 56/55 के मु0नं0 2 के किला नं0 21 की 0.126 है0 किला नं0 22 की 0.139 है0 किला नं0 23 की 0.076 है0 कुल 0.341 है0 मु0नं0 10 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22–23 कुल 3.542 है0 मु0नं0 15 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.530 है0 मु0नं0 53 के किला नं0 12, 13, 14, 17 ता 24 कुल 2.783 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 9.196 है0 नहरी मय रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के बजाय प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह, प्रतिवादी सं0 3 बंशीलाल एवं प्रतिवादी सं0 4 मांगीलाल तीनों बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्ती किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ